कार्यालय, प्रभारी अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म. प्र.)

विज्ञप्ति संशोधन सूचना (Corrigendum)

1. मेडिकल कॉउसिंल ऑफ इण्डिया के मापदण्ड अनुसार सभी पदों हेतु, एम0एस0सी0 / पी0एच0डी0 धारक उम्मीदवारों की अपेक्षा एम0बी0बी0एस0 / एम0डी0 उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. विज्ञप्ति में दिये गये पदों की संख्या में निम्नलिखित अतिरिक्त रिक्त पद के लिये भी आवेदन आमंत्रित किये जाते है—

क.	रिक्त पद	विषय	पद संख्या	श्रेणी
1	सहायक प्राध्यापक	न्यूरो सर्जरी	1	अनारक्षित

प्रभारी अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा

प्रभारी अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
छिंदवाड़ा (म.प्र.)

कार्यालय, प्रभारी अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म. प्र.)

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा की नियुक्तियॉ स्वशासी भर्ती नियमों की निम्नानुसार शर्तो के अधीन होगी

1. चयनित सहायक प्राध्यापकों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित अथवा शासन द्वारा निर्धारित संभागीय मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वंय के खर्चे से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जायेगा।
2. चयनित सहायक प्राध्यापकों की सेवायें किसी भी समय अधिष्ठाता स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा द्वारा 01 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 01 माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकती है। आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष जो पहले हो तक इस स्वशासी महाविद्यालय में सेवाये देनी होगी। आवेदक को इस बावत् सम्यक रूप से स्टाम्पित पत्र बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे 3 माह के वेतनमान के बराबर की राशि इस स्वशासी महाविद्यालय को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
3. चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी भी प्रकार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. चयनित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति 01 वर्ष कालावधि की परीवीक्षा पर होगी।
5. चयनित अभ्यर्थी की वरिष्टता संस्था द्वारा नियुक्ति हेतु तैयार चयन सूची के क्रमानुसार ही रहेगी।
6. इस नियुक्ति में अ.ज./अ.ज.जा./अ.पि.व./महिला के पदो के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
7. आपकी नियुक्ति स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा की सेवा शर्तो के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तो में संशोधन एवं परिवर्तन कर सकेगी।
8. चरित्र प्रपत्र को पूर्ण रूप से अभिप्रमणित करवा कर उपस्थिति दिनांक को संस्था में जमा करना होगा
9. संलग्न अनुप्रमाणन पत्र को अपने निवास क्षेत्र के थाने/कोतवाली, प्रभारी से पुलिस सत्यापन करवाकर संस्था में जमा कराना होगा, अन्यथा आपका नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
10. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण पत्र, उपाधियों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति जमा करानी होगी।
11. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी असंवैधानिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
12. प्रायवेट प्रैक्टिस करने या न करने बावत् विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
13. चयनित चिकित्सक का पीएमटी/यूजी/पीजी परीक्षा में अवैध रूप से चयन से संबंधित प्रकरण में किसी स्तर पर कार्यवाही प्रचलन/लंबित नहीं होने का सत्यापन देना होगा। इसके पश्चात् ही वेतन आहरण होगा। इसके पश्चात भी यदि चयनित चिकित्सक का पीएमटी/यूजी/पीजी में अवैध रूप से चयन से संबंधित किसी प्रकरण में संलिप्त/दोषी पाए जाते हैं तो नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।